दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 13-07-2025

सीजे सिन्हा की पहल

जुर्माने की राशि संप्रेक्षण गृह के दिव्यांगों पर खर्च

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बाल गृह और बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे शारीरिक और मानसिक

रूप से दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने विभिन्न न्यायालयीन मामलों में वसूली गई जुर्माने की राशि इन बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के पास जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 11 सितंबर 2024 से 11 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए दिया गया है। इस दौरान कुल 4 लाख 2 हजार रुपये की राशि जमा कराई जानी है। इसमें से 2 लाख 6 हजार रुपये दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित संस्था में जमा हो चुके हैं। वहीं, 1 लाख 79 हजार रुपये बाल संप्रेक्षण गृह में जमा किए जा चुके हैं। यह राशि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सामग्री, शिक्षाप्रद पुस्तकें और मानसिक विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी।